न्यायालय अंचल अधिकारी, डोमचांच।

जमाबंदी सुधार वाद सं0 ....23........................ / 2024–25
(ऑनलाईन पंजी II सुधार) 24/07-24

26/07/24

आवेदिका सबिया देवी पति–दयानन्द यादव, साकिन–रायडीह, पोस्ट–मसमोहना, प्रखंड डोमचांच, जिला कोडरमा के द्वारा मौजा–रायडीह के खाता सं0–77, 78, 139, रकवा–3.01 एकड़ भूमि मेरे नाम से दर्ज है। परन्तु ऑनलाईन पृष्ठ सं0–21/4 पर मेरी जमाबंदी के साथ ही साथ खाता सं0–21 एवं 34 की भी जमाबंदी अंकित हो गई है। अतएव ऑनलाईन जमाबंदी में सुधार करने का अनुरोध किया गया है।

प्राप्त आवेदन के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जो अभिलेख में संलग्न है। उनके द्वारा जांचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा रायडीह के चालू पंजी II के पृष्ठ सं0 21/4 (Mix) पर सबिया देवी पति–दयानंद यादव एवं रंजू देवी पति–विजय यादव के नाम से जमाबंदी दर्ज है। उक्त भूमि रैयती है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	रैयत एवं पिता/पति का नाम	खाता	प्लॉट नं0	रकवा	प्राधिकार कॉलम	लगान/सेस	अंतिम रसीद सं0/दिनांक/वर्ष
रायडीह	सबिया देवी पति–दयानंद यादव एवं रंजू देवी पति–विजय यादव	77 78 139	116 वगै0	3.01 ए0	दा0खा0 वाद सं0–1015/08–09 एवं 996/08–09	3.05 रू0/4.57 रू0	2008-09

संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–रायडीह के ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ सं0 21/4 पर खाता सं0–77, 78, 139 की जमाबंदी दर्ज है, इसी पृष्ठ खाता सं0–34, रकवा–16 डी0 एवं खाता सं0–21, रकवा–38 डी0 की भी जमाबंदी दर्ज है। परन्तु खाता सं0–34, प्लॉट सं0–2610 वगैरह कुल रकवा–16 डी0 भूमि मौजा–रायडीह के चालू पंजी II के पृष्ठ सं0 21/4 पर कौशल्या देवी पति–कैलाश चौधरी के नाम से दर्ज है एवं खाता सं0–21 कुल रकवा–38 डी0 की जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं0 23/1 पर काशी सिंह वगैरह पिता–काली सिंह के नाम से जमाबंदी कायम है। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :–

मौजा	रैयत एवं पिता/पति का नाम	खाता	प्लॉट नं0	रकवा	चालू पंजी II	ऑनलाईन पंजी II
रायडीह	सबिया देवी पति–दयानंद यादव एवं रंजू देवी पति–विजय यादव	77 78 139	116 वगै0	3.01 ए0	21/4 (Mix)	21/4
	कौशल्या देवी पति–कैलाश चौधरी	34	2610 वगै0	7.25 डी0	21/4	21/4
	काशी सिंह वगैरह पिता–काली सिंह	21	—	38 डी0	23/1	21/4

उभय पक्षों को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक......06/08/2024............ को रखें।

(हस्ताक्षर) 26/7/24

अंचल अधिकारी,
डोमचॉच।

06/08/24

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं किया गया है। सबिया देवी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुई। काशी सिंह एवं कौशल्या देवी अनुपस्थित है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–रायडीह के ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ सं0 21/4 (mix) से खाता सं0–77, 78, 139 कुल रकवा–3.01 एकड़ भूमि की जमाबंदी को विलोपित करते हुए, मौजा–रायडीह के ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ सं0–191/4 पर दर्ज करने का मंतव्य दिया गया है।

अतः प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन तथा राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा–रायडीह के ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ सं0 21/4 (mix) से खाता सं0–77, 78, 139 कुल रकवा–3.01 एकड़ भूमि की जमाबंदी को विलोपित करते हुए, मौजा–रायडीह के ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ सं0–191/4 पर दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।

Digitally signed by RABINDRA KUMAR PANDEY
Date: 2025.01.09 15:35:18 +05:30
Location: 10.93.152.209

(हस्ताक्षर)

अंचल अधिकारी,
डोमचांच।

Scanned with OKEN Scanner